न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस. केम्प कोर्ट रिछोली

मुकदमा नंबर :– 271 ए/2015

प्रार्थी:– सोनाराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी रिछोली पटवार हल्का रिछोली तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. डूंगरिया पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी रिछोली पटवार हल्का रिछोली तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा ।
3. पन्नाराम पुत्र डूंगराराम जाति जाट
4. हडमानराम पुत्र डूंगराराम जाति जाट निवासीयान रिछोली पटवार हल्का रिछोली तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित
1. श्री लाधूराम चौधरी वकील प्रार्थीनीगण स्वंय
2. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, पचपदरा

दिनांक :– 22-10-2021

आदेश

प्रषासन गांवों संग अभियान आयोजित केम्प कोर्ट रिछोली में पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि सरहद मौजा रिछोली के कटाण रास्ता से प्रार्थीगण के अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 283 रकबा 82.04 बीघा की कृषि भूमि तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु परिषिष्ट 'अ' में दर्षाये गये हिस्से ए से बी बरंग लाल, अनुसार 20 फिट चौडा रास्ता घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । पत्रावली में दिनांक 21.6.2016 को न्याय आपके द्वार कैम्प–गोपडी में प्रार्थना को स्वीकार कर फैसल किया गया । उसके उपरान्त पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर के निर्णय दिनांक 28.02.2017 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.06.2016 को अपास्त कर पुनः इस निर्देष के साथ प्रतिप्रेषित किया कि उभय पक्ष की उपस्थित में मौका रिपोर्ट तैयार करवाई जाकर निर्णय पारित करे। अतः पत्रावली का पुनः उसी नम्बर पर दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार पचपदरा को प्रत्यर्थीगण के पास अपनी अन्य खातेदारी म से विकल्प रास्ता उपलब्ध है या नहीं की जांच रिपोर्ट मंगवाई गयी। दिनांक 26.6.2018 राजस्व लोक अदालत कैम्प रिछोली मे दोनो पक्षकारन उपस्थित हुए । विप्रार्थी ने जाहिर किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार पुर्व में प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते पर विप्रार्थीगणों के मकान बन गए है। एवं खसरा सं. 284 की माठ के सहारे सहारे प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 283 की दूरी न्यूनतम है। अतः मौके की रिपोर्ट पुनः मंगवाई जाने हेतु निवेदन किया गया ।

तहसीलदार पचपदरा के पत्र कमांक 173 दिनांक 5.5.2016 एवं — दिनांक 21.6.2016 को पूर्व में मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जिस पर निर्णय पारित किया गया था। जिससे विप्रार्थीगण के द्वारा असन्तुष्ट होकर माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर में अपील प्रस्तुत की गई । माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर इस न्यायालय को पुनः प्रे[illegible] करने पर पुनः तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट दिनांक 23.12.2017 व 27.6.2018 एवं दिनांक 9.03.2021 को मौका रि[illegible] गई तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट मे जाहिर किया है कि प्रार्थी के खेत खसरा [illegible] 283 [illegible]टाण रास्ते तक पंहुचने हेतु खसरा नं 287 मे से (खसरा नं 284 व खसरा नं 286 की [illegible] एवं न्यूनतम दूरी है प्रार्थी को आवागमन हेतु रास्ता अधिक सुविधाजनक है।

दिनांक 19.03.2021 को उपतहसीलदार पाटोदी से मौका रिपोर्ट पेश हुई । जिस पर विप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांक 6.04.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि दिन[illegible]03.2021 की पर एकपक्षीय मौका रिपोर्ट पर की जाने बाबत आपति पेश की गई। जिसकी प्रति प्रार्थी वकील को दिलाई गई। दिनांक 15.4.2021 को प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र का जबाब पेष करने का निवेदन किया कि दिनांक 09.03.2021 को मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार सही रिपोर्ट तैयार की गई है। विप्रार्थी को मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व दिनांक 26.02.2021 को नोटिस भेजा गया जिसमें दिनांक 3.03.2021 को मौके पर उपस्थित रहने की सूचना दी गयी लेकिन विप्रार्थी डूंगराराम द्वारा नोटिस लेने से इंकार किया गया, विप्रार्थी को । मौजूदा समय में डूगराराम व उसके रहवास दुर्भावनापूर्वक बनाये गये पडवें में नही है प्रार्थी को सरकारी स्कूल में बच्चे के आने–जाने हेतु रास्ता हौदी पर पशुओं को पानी पिलाने एवं कृषि उपयोग हेतु [illegible] जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक व निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। अन्त में निवेदन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:48:14 IST
Reason: SelfAttested

गया कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर रास्ता घोषित किया जावें। प्रार्थी की और से दिनांक 13.7.2021 को प्रार्थी खेताराम फौत होने की सूचना न्यायालय में प्रस्तुत की गयी खेताराम के कायम मुकाम प्रार्थी सोनाराम ने प्रार्थना पत्र पेष कर प्रार्थी संख्या – 1 खेताराम के स्थान पर कायम मुकाम रेकर्ड पर लेने का निवेदन किया गया जिसे स्वीकार कर संषोधित शीर्षक को भी रेकर्ड पर लिया गया ।

विप्रार्थीगण के वकील की आपत्ति पर तहसीलदार पचपदरा स्वंय से मौका जांच कर रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश प्रदान किये गये।

तहसीलदार पचपदरा स्वंय ने मौका निरीक्षण मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम रिछोली के खसरा नम्बर 283 में आवागमन हेतु उपयुक्त एवं निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 284 व 287 के सहारे दीवार व कच्चा झोम्पा बनाकर रास्ता अवरूद्ध किया हुआ है जिससे रास्ते की समस्या है, उक्त रास्ते की भूमि निकटतम एवं उपयुक्त है, तहसीलदार, पचपदरा द्वारा प्रार्थी आवागमन हेतु विप्रार्थी गण की कम से कम भूमि रास्ते के लिये रकबा 09 विस्वा प्रस्तावित की गई है।

प्रार्थी के विद्ववान अधिवक्ता श्री लाधुराम चौधरी एवं तहसीलदार पचपदरा को सुना गया, प्रार्थी के विद्ववान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि खेत खसरा नम्बर 283 का वर्तमान में तरमीम होने से प्रार्थी के आवागमन हेतु एकमात्र विकल्प विप्रार्थी के खेत से आवागमन किया जाना निकतटम है इसके अलावा अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं हैं विप्रार्थीगण प्रार्थी को अनावष्यक परेशान करने की नियत से इस प्रकरण में न्यायालय को गुमराह कर रहे है । प्रार्थी के आवेदन को केवल मात्र लम्बा करने की नियत से विप्रार्थीगण बार बार अनाश्वयक आपत्तियां प्रस्तुत कर रहे है। प्रार्थी के कृषि कार्य एवं अन्य साधन आवागमन हेतु रास्ता एकमात्र विकल्प है इसलिए रास्ता के लिए अनुमति प्रदान कि जावें ताकि प्रार्थी के बच्चों को भी स्कूल में आवागमन हेतु सुविधाजनक रहेगा ।

विप्रार्थीगण के वकील ने खसरा नम्बर 283 की तरमीम आवेदन प्रस्तुत करने के बाद गलत तरीके से कराई जाना बताया है प्रार्थी के द्वारा जानबुझ कर विप्रार्थीगण को पेरशान करने की नियत से अपने परिवार में खातेदारी भूमि की तरमीम कराई है। इसलिए प्रार्थी का आवेदन को अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन समूची स्थिति पर विवेचन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि प्रार्थी के द्वारा आवेदित रास्ता उसके कृषि कार्य के लिए साधन आवागमन एवं बच्चों को स्कूल आने –जाने हेतु एकमात्र रास्ता विकल्प है इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है । तहसीलदार पचपदरा एवं तहसीलदार पाटोदी से इस प्रकरण में बार–बार मौका रिपोर्ट तलब की गई है विप्रार्थीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी, प्रार्थी के आवेदन पत्र को केवल मात्र लम्बा करने के उद्देषय प्रस्तुत की गई, आपत्ति सारहीन होने से अस्वीकार योग्य है, क्योकि प्रार्थी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रार्थी के आवागमन के लिए एक मात्र रास्ते का विकल्प है, इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को रास्ते से महरूम नहीं किया जा सकता है, प्राथी के द्वारा रास्ते के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र न्यायोचित प्रतीत होता है, प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने में किसी प्रकार की आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

प्रार्थी के आवेदन पत्र को स्वीकार कर मौजा रिछोली के खेत खसरा नम्बर 283 में से आवागमन हेतु विप्रार्थी के खसरा नम्बर 287 रकबा 21–19 बीघा में से 09 विस्वा भूमि रास्ते के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थी इस हेतु डी.एल.सी रेट 22140/– प्रति बीघा निर्धारित है, जिसके अनुसार रास्ते के लिए प्रस्तावित 09 विस्वा प्रमावित भूमि की राशि 9963 रूपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति के रूप में राशि रूपये 19926/– रूपये सम्बन्धित खातेदार को भुगतान किया जावे । प्राथी के द्वारा पूर्व में 31,780/– रूपये सीआरनम्बर 421703/00025 दिनांक 22.07.20[illegible] के द्वारा राशि तहसील कार्यालय पचपदरा में जमा करवा दिये जाना बताया गया, जिसें संबंधित खातेदार विप्रार्थी को भुगतान [illegible] कार्यवा[illegible] किया जाना सुनिश्चित

तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल [illegible] इस निर्णय [illegible] के साथ पढा करें। मौका रिपोर्ट दिनांक 10.09.2021 में चिन्हित किया [illegible] जाएं।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 22.10.2021 को केम्प कोर्ट रिछोली में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान में शिविर में मजमें आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:48:14 IST
Reason: SelfAttested